


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

बदाम बाई विपक्षी रंगलाल

मुकदमा

188-2-13 पत्रावली संख्या 237/13 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>24/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 29/7/25 को पेश हो। BI</p> <p>29/7/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 26/8/25 को पेश हो। BI</p> <p>26/8/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 25/9/25 को पेश हो। BI</p> <p>25/9/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 10/11/25 को पेश हो।</p> <p>10/11/25 वकुलम्य वादी/प्रतिवादी उप. सहायक कलक्टर वरिष्ठ के लिये मौका चाहते है। अतः सहायक कलक्टर वरिष्ठ की अतिरिक्त अवसर दिया जाकर फर्दवाही दि. 27/11/25 को पेश हो। BI (SDO) मावली</p>	

27/11/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-
के लिये मौका चाहते है। अतः
अवसर दिया जाकर पत्रावली वि-
नोपेश हो।

(SDO) मावली

11/12/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता-पक्षकारान रुप।
उपरिथत अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 16/12/25 को पेश हो।

B/0
2

16/12/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-
के लिये मौका चाहते है। अतः
अवसर दिया जाकर पत्रावली वि-
नोपेश हो।

युगोपिना वाद। चरख
अतिथि
06/01/26
M
मावली

06/01/2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय
स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण
मय स्वयं वादीगण की बार-बार आवाने दिलवाई
गई। समय सांय 2:00 PM हो चुके हैं। स्वयं
वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित
हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण
अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम राजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली